UPSR010002812021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538

<u>सत्र वाद सं०–113/2021</u>

राज्य उत्तर प्रदेश **.........अभियोजन**

बनाम

1. **कैलाश** पुत्र अवधराम,
2. **विक्रम** पुत्र विद्याराम,
3. **सदावृक्ष** पुत्र विद्याराम,
4. **केशरी** पुत्र कैलाश,
5. **रामजीत** पुत्र मुरली,
6. **कौशल** पुत्र रामपारस,
7. **रामपारस** पुत्र अवधराम **(दौरान मुकदमा मृत्यु)**
8. **मुरली** पुत्र अवधराम,
9. **दीपराज** पुत्र विद्याराम,
10. **रामकेवल** उर्फ केवलराम पुत्र अवधराम,
11. **शिवकुमार** पुत्र श्यामता प्रसाद,
12. **सुभाष** पुत्र रामपारस,
13. **लवकुश** पुत्र शिवकुमार,
14. **दीपक** पुत्र रामपारस,

निवासीगण – चयपुरवा, दा० शिवाजोत, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।

...........अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–143/2019
धारा–147, 148, 504, 506
323/149, 324/149,
325/149, 307/149 भा०दं०सं०
थाना–इकौना, जिला–श्रावस्ती।

<u>निर्णय</u>

1– थाना इकौना, जिला श्रावस्ती की पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 143/2019, धारा 147, 148, 504, 506, 323/149, 324/149, 325/149, 307/149 भा०दं०सं०, थाना

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.07.20 16:36:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इकौना, जिला श्रावस्ती के मामले में विवेचनोपरान्त आरोप–पत्र कैलाश व अन्य के विरुद्ध विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती को प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर मामले को अन्नयतः सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियाँ धारा 207 दं०प्र०सं० के तहत् प्रदत्त कर विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर सत्र वाद सं० 113/2021 के रूप में संस्थित हुआ।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सीताराम पुत्र बाबादीन, निवासी चैपुरवा, दा० शिवाजोत, थाना इकौना, जिला श्रावस्ती द्वारा प्रभारी, थाना इकौना को दिनांक 09.06.2019 को इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी जमीन जो चमेला बुद्ध इण्टर कालेज के सामने स्थित है। जिसके सम्पूर्ण कागजात उसके पास मौजूद हैं लेकिन विपक्षीगण रामपारस पुत्र अवधराम आदि लोग जबरन कब्जा कर लेना चाहते हैं जिसका विवाद मा० न्यायालय भिनगा में चल रहा है। दिनांक 08.06.2019 को समय शाम 5 बजे वह जब अपनी जमीन जोतने गया तो विपक्षीगण राम पारस, मुरली, राम केवल पुत्रगण अवधराम, शिव कुमार पुत्र श्यामता प्रसाद लवकुश पुत्र शिवकुमार, सुभाष व दीपक पुत्रगण रामपारस, दीपराज पुत्र विद्याराम, कैलास पुत्र अवधराम विक्रम व सदावृक्ष पुत्रगण विद्याराम, केशरी पुत्र कैलाश, रामजीत पुत्र मुरली, कौशल पुत्र राम पारस निवासीगण चयपुरवा, लाठी डण्डा फरसा व कुल्हाड़ी से लैस होकर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ शेषराम को मारने पीटने लगे। बीच बचाव में उसके गांव के जिसका नाम शिव शंकर पुत्र बदलूराम, चन्द्रभान बलिराम, हरिश्चन्द्र व राम चन्दर पुत्रगण शिवशंकर आए तो उनको भी जान से मारने की नीयत से मारने लगे जिससे वे लोग गम्भीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। रोने चिल्लाने से गाँव के तमाम ग्रामवासी दौड़े तो विपक्षीगण गाली गुप्तारी देते हुए व जान से मारने की धमकी देते चले गए, भाग निकले। वह सूचना देने हेतु आया है। अतः प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3– वादी मुकदमा के द्वारा दी गई लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना इकौना, जिला श्रावस्ती पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–2 मु०अ०सं० 143/2019, धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 भा०दं०सं०, दिनांक 09.06.2019 को समय 03.42 बजे अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज की गयी। जिसका खुलासा कायमी जी०डी० सं० 005 दिनांक 09.06.2019 समय 03.42 बजे, में किया गया।

4– मुकदमे की विवेचना उ०नि० अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा ग्रहण की गई। उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। वादी तथा गवाहों के बयान अंकित किए गए। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण रामपारस, मुरली, रामकेवल उर्फ केवल, शिवकुमार, लवकुश, सुभाष, दीपक, दीपराज, कैलाश, विक्रम, सदावृक्ष, केसरी, रामजीत व कौशल के विरुद्ध के विरुद्ध आरोप–पत्र धारा 147, 148, 149, 307, 323, 324, 325, 504 व 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक 19.09.2019 को

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए सम्बन्धित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा दिनांक 02.02.2021 को सत्र सुपुर्द किया गया जो सत्र वाद सं० 113/2021, राज्य बनाम कैलाश व अन्य के रूप में दर्ज हुआ।

5– अभियुक्तगण कैलाश व अन्य न्यायालय उपस्थित आए। उनके विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांकित 09.12.2021 द्वारा धारा 147, 148, 323/149, 324/149, 325/149, 307/149 , 504 व 506 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया, जिससे अभियुक्तगण ने इंकार किया और विचारण की मांग की।

6– अभियुक्त रामपारस पुत्र अवधराम की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 15.05.2025 को उपशमित की जा चुकी है।

7– अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट क–2, लिखित तहरीर प्रदर्श क–1, फर्द बरामदगी फरसा, बल्लम व दो अदद लाठी खूनालूद प्रदर्श क–3, आरोप–पत्र प्रदर्श क–4, नक्शा नजरी प्रदर्श क–5, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–6, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–7, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–8, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–9, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–10, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–11, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–12, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–13, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–14, मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–15 को साबित कराया गया है।

8– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०–1 शेषराम, पी०डब्लू०–2 चन्द्रभान, पी०डब्लू०–3 बलिराम, पी०डब्लू०–4 शिवशंकर, पी०डब्लू०–5 सीताराम, पी०डब्लू०–6 हरिश्चन्द्र, पी०डब्लू०–7 रामचंद्र मिश्रा को परीक्षित कराया गया है।

9– अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के मुख्य बयान निम्नवत् हैं:–

10– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–1 शेषराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना को पांच छः साल हो रहे हैं। शाम पांच बजे की घटना है। उसकी जमीन ग्राम चैयपुरवा, चमेला बुद्ध इन्टर कालेज के सामने है। उक्त जमीन को उसके गांव के रहने वाले रामपारस जोतना चाहते थे। ऐसी उसे सूचना मिली। वह वहाँ पर गया तो वहाँ पर मौके पर काफी भीड़ थी। मौके पर भीड़ होने के कारण धक्का मुक्की में वह गिर गया। उसी में उसको चोट आ गई। तब उसके भाई ने थाने पर रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वालों ने उसे इलाज हेतु अस्पताल भेजा, जहाँ उसका इलाज हुआ। पुलिस वालों ने उससे पूछताछ किया था।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–2 चन्द्रभान** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से 06 साल पहले की है। घटना 6–7 बजे की है। घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद था। हल्ला सुनकर वह भी मौके पर पहुँचा तो वहाँ पर उसके भाई, उसके पिता तथा गाँव के अन्य तमाम लोग कौवापुर चमेलाबुद्ध इण्टर कालेज के पास सड़क पर इकट्ठा थे। खेत को लेकर आपस में कुछ कहासुनी हुई थी। भीड़ में रामपारस,

रामकेवल, मुरली व शिवकुमार व उनके घर के अन्य लोग व अन्य कई गाँव के तमाम लोग थे। उसकी कहासुनी में भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में उसे भी चोट आ गई थी। घटना की रिपोर्ट किसने लिखाई थी उसे नहीं पता था। पुलिस वालों ने उसका दवा–इलाज इकौना सरकारी अस्पताल में कराया था। पुलिस वालों ने पूछताछ की थी।

12– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–3 बलिराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से लगभग 5 से 6 साल पहले की है। उसके गाँव के सीताराम, कैलाश, विक्रम, सदावृक्ष, केसरी, रामजीत, कौशल, रामपारस, मुरली, दीपूराज, रामकेवल, शिवकुमार, सुभाष, लवकुश व दीपक के बीच कहासुनी हो रही थी। इसी बीच भगदड़ मच गई। उसी में शेषराम, हरिश्चन्द्र, रामचन्दर, आदि लोगों को चोटें आई थी। किसी के द्वारा किसी को मारते हुए उसने नहीं देखा था। शोरगुल सुनकर गाँव के तमाम लोग आ गए थे। सब लोग इधर उधर चले गए थे। यह बात उसने दरोगा जी को बताई थी।

13– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–4 शिवशंकर** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना को लगभग 6–7 साल हो रहे हैं। घटना शाम 5 बजे की है। उसके लड़के बलराम व रामचन्दर से गाँव के रहने वाले रामपाल आदि से बाता कहानी हो रही थी कि उसी में काफी लोग इकट्ठा हो गए तथा भगदड़ हो गई। उसी भगदड़ में वह भी था। उसी भगदड़ में वह जमीन पर गिर गया था जिससे उसे काफी चोटें आ गई थी। तब गाँव वाले उसे इकौना सरकारी अस्पताल ले गए थे। जहाँ पर उसका इलाज हुआ था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस वालों ने उससे पूछताछ किया था।

14– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–5 सीताराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना को लगभग सात साल हो रहे हैं। घटना शाम पांच छः बजे की है। घटना के समय वह अपने घर पर था। चमेलाबुद्ध इण्टर कालेज चयपुरवा के सामने उसकी पुश्तैनी जमीन है। उस जमीन को जोतने उसके भाई केशवराम गए थे। वहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए। आपस में कहा सुनी व धक्का मुक्की होने लगी। उसी में उसके भाई शेषराम को चोट आ गई थी। बाद में वह भी वहाँ पहुँचा था, घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने लोगों के बताने के अनुसार उसने एक व्यक्ति से लिखाकर थाने पर दिया था। लिखने वाले ने प्रा० पत्र उसे पढ़कर सुनाया नहीं था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज सं० ए–3/3 मूल तहरीर को देखकर कहा कि यही प्रा० पत्र उसने थाने पर दिया था। इस पर उसका हस्ताक्षर बना है। प्रमाणित करता है। उस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पुलिस वालों ने उससे पूछताछ किया था। यही बात उसने पुलिस वालों को बताया था।

15– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–6 हरिश्चन्द्र** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से लगभग 06 वर्ष पहले की है। शाम को लगभग 6–7 बजे की घटना है। घटना के समय हल्ला गुहार सुनकर वह भी मौके पर गया था। मौके पर 2–3 गांव के लोग इकट्ठा थे। खेत जुताई को लेकर आपस में कहा सुनी हुई थी। उसी कहा सुनी में

भगदड़ मच गई थी। उसी भगदड़ में उसे चोट आई थी। घटना की रिपोर्ट किसने लिखवाई थी यह उसे नहीं पता है। पुलिसवाले जांच करने आए थे। पूंछताछ किया था।

16– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी०डब्लू०–7 रामचंद्र मिश्रा** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व शाम 5 बजे की है। वह अपने खेत पर था। उसके पिता शिवशंकर व उसके भाई हरिश्चन्द्र, बलराम, चन्द्रभान व प्रवीण कुमार भी उसके खेत पर थे। वहीं पर खेत की जोताई हो रही थी जिसमें भगदड़ हो गयी थी। उस भगदड़ में उसे चोट आ गई थी। उसे दवा इलाज के लिए इकौना सरकारी अस्पताल ले गए थे जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे भिनगा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। घटना की रिपोर्ट सीताराम ने लिखाई थी। पुलिस वालों ने उसका बयान नहीं लिया था।

17– अभियोजन की ओर से कुल सात साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

18– अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० दर्ज किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए तथ्य के साक्षी पी०डब्लू० 01–07 के बयानों पर कुछ नहीं कहा है। मौखिक साक्ष्यों के अलावा अन्य प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया है जिस पर अभियुक्तगण द्वारा कुछ नहीं कहा गया। अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध मुकदमा रंजिशन चलना बताया है।

19– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में झूठा एवं रंजिशन फंसाया गया है। घटना का किसी भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट रंजिश होने की वजह से पंजीकृत कराई गई है। उपरोक्त घटना में भीड़ होने पर भगदड़ मच गई थी जिसकी वजह से किसी को भी कोई गम्भीर चोट नहीं आई है। घटना में किसी भी अभियुक्तगण ने किसी को भी कोई गाली गुप्ता नहीं दिया था और न ही किसी को मारा पीटा गया था। औपचारिक साक्षियों ने अभियोजन प्रपत्रों को विधितः साबित नहीं किया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि मामले में कराए गए साक्ष्य स्वयं अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं करते हैं। अभियोजन प्रपत्रों के साबित होने के आधार पर अभियोजन कथानक को तब तक विश्वसनीय व साबित नहीं माना जा सकता है, जब तक घटना के बावत तथ्य के साक्षी द्वारा युक्तियुक्त रूप से घटना को संदेह से परे साबित नहीं कर दिया जाता है। चूँकि अभियोजन का सम्पूर्ण मामला संदिग्ध, असंगत और अप्रमाणित साक्ष्यों पर आधारित है, अतः संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना विधि का स्थापित सिद्धांत है। उक्त आधारों पर बल देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

20– राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा शेषराम, शिवशंकर, चन्द्रभान, बलिराम, हरिश्चन्द्र व रामचन्दर को जाने से मारने की नीयत से लाठी, डण्डा, फरसा व कुल्हाड़ी से मारा पीटा गया जिससे वे लोग गम्भीर रूप से घायल हो गए तथा और ग्रामवासियों के आने पर अभियुक्तगण गाली गुप्ता देते हुए

व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। अभियुक्तगण के द्वारा बलवा कारित करते हुए, घातक आयुध लाठी, डण्डा, फरसा व कुल्हाड़ी आदि से सज्जित होते हुए विधिविरुद्ध जमाव किया गया तथा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए गाली गुप्ता देते हुए डराया धमकाया गया तथा वादी मुकदमा व अन्य चोटहिल को जान से मारने की नियत से मारा पीटा गया। अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करते हुए वादी मुकदमा व अन्य चोटहिलों की हत्या करने का प्रयत्न किया गया जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गए। अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोप पूर्णतः सिद्ध हैं और अभियोजन कथानक पूर्णतया सन्देह से परे साबित है। उक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करते हुए कठोर से कठोर सजा दिए जाने की याचना की गई।

21– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया गया।

22– उपर्युक्त तर्कों के आलोक में यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने कथानक को संदेह से परे युक्तियुक्त ढंग से साबित कर पाने में सफल रहा है अथवा नहीं।

23– विचारणीय प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में जिन तथाकथित तथ्य साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है, वे मुख्तयतः पी०डब्लू० 1 शेषराम, पी०डब्लू० 2 चन्द्रभान, पी०डब्लू० 4 शिवशंकर, पी०डब्लू० 5 सीताराम, पी०डब्लू० 6 हरिश्चन्द्र व पी०डब्लू० 7 रामचंद्र हैं। वादी द्वारा दी गई तहरीर में कथन किया गया है कि विपक्षीगण रामपारस पुत्र अवधराम आदि लोग जबरन कब्जा कर लेना चाहते हैं जिसका विवाद मा० न्यायालय भिनगा में चल रहा है। दिनांक 08.06.2019 को समय शाम 5 बजे जब वादी अपनी जमीन जोतने गया तो विपक्षीगण राम पारस, मुरली, राम केवल पुत्रगण अवधराम, शिव कुमार पुत्र श्यामता प्रसाद लवकुश पुत्र शिवकुमार, सुभाष व दीपक पुत्रगण रामपारस, दीपराज पुत्र विद्याराम, कैलास पुत्र अवधराम विक्रम व सदावृक्ष पुत्रगण विद्याराम, केशरी पुत्र कैलाश, रामजीत पुत्र मुरली, कौशल पुत्र राम पारस निवासीगण चयपुरवा, लाठी, डण्डा, फरसा व कुल्हाड़ी से लैस होकर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ शेषराम को मारने पीटने लगे। बीच बचाव में उसके गांव के जिसका नाम शिवशंकर पुत्र बदलूराम, चन्द्रभान, बलिराम, हरिश्चन्द्र व राम चन्दर पुत्रगण शिवशंकर आए तो उनको भी जान से मारने की नीयत से मारने लगे जिससे वे लोग गम्भीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। रोने चिल्लाने से गाँव के तमाम ग्रामवासी दौड़े तो विपक्षीगण गाली गुप्तारी देते हुए व जान से मारने की धमकी देते चले गए, भाग निकले।

अभियोजन साक्षी के रूप में पी०डब्लू० 1 शेषराम को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में पूर्णतयः अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किए जाने पर कथन किया गया है कि उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई थी तथा भीड़ में

गिर जाने के कारण उसे चोटें आई थीं। उसको किसी ने जान माल की धमकी व गाली गुप्ता नहीं दिया और न ही मारा पीटा। उसने मौके पर अभियुक्तगण को नहीं देखा। साक्षी को जब उसका 161 सीआर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो उसने उससे स्पष्ट इंकार कर दिया। अतः स्पष्ट है कि इस साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीथ साक्ष्य दिया है। इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा इसके साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में भगदड़ में गिर जाने की वजह से चोट आना बताया है। चोटहिल/साक्षी की एक्स–रे रिपोर्ट (प्रदर्श क–7) में रेडियोलॉजिस्ट द्वारा NAD (No Abnormality Detected) आना बताया गया है। चोटहिल/साक्षी की मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श क–11) में चोटहिल को आई हुई चोटों की प्रकृति के सन्दर्भ में चिकित्सक द्वारा रिपोर्ट में चोटें साधारण प्रकृति की बताई गई हैं। जिससे यह साबित नहीं किया जा सकता है कि मुल्जिमानों द्वारा उसे मारा पीटा गया हो या फिर उस पर खतरनाक हथियारों से जानलेवा हमला किया गया हो। साक्षी के द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि उसे व उसके परिवार के सदस्यों को मुल्जिमानों द्वारा न तो मारा पीटा गया था, न तो जान से मारने की धमकी दी गई थी और न ही गाली गुप्ता ही दिया गया। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से किसी भी प्रकार से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है तथा इस साक्षी का साक्ष्य पूरी तरह से विरोधाभासों से परिपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं है।

24– अभियोजन साक्षी के रूप में पी०डब्लू० 2 चन्द्रभान को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किए जाने पर कथन किया गया है कि जब वह घटना स्थल पर पहुँचा तो वहाँ पर पहले से ही पांच छः गांव की भीड़ इकट्ठा थी। उसी भीड़ में पक्की सड़क पर गिरने से उसे चोट आ गई थी। उसने नहीं देखा कि सीताराम मौके पर थे यह नहीं। उसके साथ मारपीट की कोई घटना नहीं हुई और न ही किसी ने उसे जान–माल की धमकी व गाली गुप्ता ही दी। अभियुक्तगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की है। साक्षी ने अपने 161 सी०आर०पी०सी० में दिए हुए बयान से भी इन्कार किया। अतः स्पष्ट है कि इस साक्षी के द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीथ साक्ष्य दिया है। इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तथा इसके साक्ष्य से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है। चोटहिल/साक्षी की मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श क–15) में चोटहिल को आई हुई चोटों की प्रकृति के सन्दर्भ में चिकित्सक द्वारा रिपोर्ट में चोटें साधारण प्रकृति की बताई गई हैं। जिससे यह साबित नहीं किया जा सकता है कि मुल्जिमानों द्वारा उसे मारा पीटा गया हो या फिर उस पर खतरनाक हथियारों से जानलेवा हमला किया गया हो। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से किसी भी प्रकार से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है तथा इस साक्षी का साक्ष्य पूरी तरह से विरोधाभासों से परिपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं है।

25– अभियोजन साक्षी के रूप में पी०डब्लू० 3 बलिराम को परीक्षित कराया गया है जिसने अभियोजन कथानक से विपरीत साक्ष्य दिया है। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किए जाने पर साक्षी ने

कथन किया है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी परन्तु कोई मारपीट की घटना नहीं हुई थी। साक्षी ने कथन किया कि अभियुक्तगण द्वारा कोई मारपीट की घटना कारित नहीं की गई थी। साक्षी को जब उसका 161 सीआर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तब उसने कहा कि यह बयान उसने दरोगा को नहीं दिया था बल्कि जो आज बयान दे रहा है वही बयान उसने दरोगा को दिया था। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा इस साक्षी के साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए हुए आरोपों की पुष्टि हो सके।

26– अभियोजन साक्षी के रूप में पी०डब्लू० 4 शिवशंकर को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किए जाने पर कथन किया गया है कि मुल्जिमानों ने उसे मारा पीटा नहीं था, न ही उसे जान माल की धमकी दी थी और न ही उसको गाली गुप्ता दिया था। इस साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि वह भगदड़ में जमीन पर गिर गया था जिससे उसे काफी चोटें आई थीं तथा गांव वाले उसे अस्पताल ले गए थे जहाँ उसका इलाज हुआ था। साक्षी की मेडिकल रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा साक्षी को आई हुई चोटों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसकी चोटों की प्रकृति साधारण थी। जिसकी वजह से यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उसके साथ किसी के द्वारा भी मारपीट की गई हो। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से किसी भी प्रकार से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है तथा इस साक्षी का साक्ष्य पूरी तरह से विरोधाभासों से परिपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं है।

27– अभियोजन साक्षी के रूप में पी०डब्लू० 5 सीताराम (वादी मुकदमा) को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसकी पुश्तैनी जमीन को जोतने के लिए उसके भाई केशवराम गया हुआ था। वहाँ तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे तथा आपस में कहा सुनी तथा धक्का मुक्की होने लगी थी जिसमें उसके भाई शेषराम को चोट आ गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने लोगों के बताने के अनुसार बताई थी। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किए जाने पर कथन किया गया है कि वह घटना स्थल पर मौके पर मौजूद नहीं था। तहरीर उसने थाने के बाहर बैठे एक व्यक्ति से गांव वालों के बताने के अनुसार लिखाया था। उसने तहरीर लेखक को किसी अभियुक्त का नाम नहीं बताया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने तक चोटहिलों से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। साक्षी ने अपने 161 सीआर०पी०सी० में दिए हुए बयान से इंकार किया। यह साक्षी वादी मुकदमा है तथा इसके द्वारा एक लिखित तहरीर थाने पर दी गई थी। साक्षी ने तहरीर में कथन किया है कि वह स्वयं अपनी जमीन जोतने गया हुआ था परन्तु मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसका भाई जमीन जोतने गया हुआ था। इस साक्षी ने दी हुई तहरीर से विपरीत साक्ष्य दिया है जिससे वह पक्षद्रोही हो गया है। साक्षी ने घटना स्थल पर भीड़ अत्यधिक हो जाने के कारण धक्का मुक्की होना बताया जिसकी वजह से उसके भाई शेषराम को चोट आ गई तथा उसने यह भी कथन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उसने दूसरे व्यक्ति के बताने पर लिखाई थी। साक्षी ने प्रति

परीक्षा किए जाने पर कथन किया है कि वह घटना स्थल पर मौके पर मौजूद नहीं था तथा तहरीर में उसने किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं बताया था। उक्त से स्पष्ट है कि इस साक्षी का साक्ष्य पूरी तरह से विरोधाभासों से परिपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं है तथा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है जिससे अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है और अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि भी इससे नहीं हो पाती है।

28– अभियोजन साक्षी के रूप में पी०डब्लू० 6 हरिश्चन्द्र को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि खेत जुताई को लेकर आपस में कहा सुनी हुई थी। उसी कहा सुनी में भगदड़ मच गई थी तथा उसी भगदड़ में उसको चोट आई थी। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किए जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि खेत जुताई को लेकर आपस में कहा सुनी हुई थी और भगदड़ मच गई थी जिसमें उसे सड़क पर गिरने से उसको चोट आई थी। उसके साथ मार–पीट की कोई घटना नहीं हुई थी। उसे किसी ने भी जान–माल की धमकी व गाली गुप्ता नहीं दिया था। साक्षी/चोटहिल को आई हुई चोटों के सम्बन्ध में उसका एक्स–रे कराया गया था। एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–6 में उल्लिखित है कि उसको दाहिने हाथ की पांचवी उंगली में फ्रैक्चर है तथा मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–12 में कहा गया है कि उसकी चोटों की प्रकृति साधारण थी। इस साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि मुल्जिमानों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई हो या फिर जानलेवा हमला किया गया हो और गाली गुप्ता दिया गया हो। साक्षी ने भगदड़ के दौरान स्वयं को गिरने से चोट आना बताया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की इस साक्षी के साक्ष्य पुष्टि नहीं होती है।

29– अभियोजन साक्षी के रूप में पी०डब्लू० 7 रामचंद्र मिश्रा को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह अपने खेत पर था। उसके पिता शिवशंकर व उसके भाई हरिश्चन्द्र, बलराम, चन्द्रभान व प्रवीण कुमार भी उसके खेत पर थे। वहीं पर खेत की जोताई हो रही थी, जिसमें भगदड़ हो गयी थी। उस भगदड़ में उसे चोट आ गई थी। उसे दवा इलाज के लिए इकौना सरकारी अस्पताल ले गए थे जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे भिनगा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। इस साक्षी से प्रति परीक्षा किए जाने पर इस साक्षी ने कथन किया है कि रामपारस, मुरली, रामकेवल, शिवकुमार, लवकुश, सुभाष, दीपक, दीपराज, कैलाश, विक्रम, सदावृक्ष, केसरी, रामजीत, व कौशल उसके गाँव के रहने वाले हैं। उन लोगों से उसका कोई जमीनी विवाद नहीं था। सीताराम का उन लोगों से जमीनी विवाद था यह नहीं उसे नहीं पता था। भगदड़ में गिरने से उसके हाथ व सर में चोट आई थी। उसे बल्लम व फरसे की चोट नहीं आई थी। उसे किसी ने मारा पीटा नहीं था और न ही गाली गुप्ता दिया था। उसे किसी ने जान माल की धमकी भी नहीं दी थी। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। साक्षी की चोट के सम्बन्ध में उसका एक्स–रे कराया गया था। एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श क–8 में उसको दाहिने हाथ की छोटी उंगली में चोट आना बताया तथा कोहनी व हाथ में NAD (No Abnormality Detected) आना कहा गया है। मेडिकल रिपोर्ट में इस साक्षी को आई चोटों के

सम्बन्ध में चिकित्सक द्वारा अधिकांश चोटें साधारण प्रकृति की बताई गई हैं। जिसकी वजह से यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उसके साथ किसी के द्वारा भी मारपीट की गई हो। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से किसी भी प्रकार से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है तथा इस साक्षी का साक्ष्य पूरी तरह से अभियोजन कथानक के विपरीत तथा विरोधाभासों से परिपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय नहीं है।

30– साक्षीगण ने घटना के समय, कारण, उपस्थिति और घटना–क्रम के सम्बन्ध में असंगत साक्ष्य दिया है, जो यह सिद्ध करता है कि वे विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। यद्यपि यह साक्षीगण वादी मुकदमा के सगे–सम्बन्धी भी हैं तथा वह हितबद्ध साक्षी भी हैं। मामले में उनके साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, यदि उसका साक्ष्य विश्वसनीय हो, तब उनकी गवाही को अत्यधिक सावधानी और संदेह की दृष्टि से परखा जाता है और यदि उसमें असंगति या विरोध पाया जाए, तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साक्षीगण ने घटना स्थल पर भारी भीड़ होना बताया तथा कहा–सुनी के चलते भगदड़ हो जाना भी बताया और उसी भगदड़ में ज्यादातर साक्षी/प्रत्यक्षदर्शीगण को सड़क पर गिरने से चोट आना कहा गया है। इस मामलें में इस साक्षीगण के साक्ष्य पूर्ण रूप से विरोधाभासों से परिपूर्ण है, जिस कारण वह विश्वसनीय नहीं है और उनके साक्ष्य से किसी भी प्रकार से तहरीर में बताई गई घटना तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं होती है तथा इन साक्षीगण के साक्ष्य से अभियोजन को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है।

31– यह तथ्य पत्रावली में न केवल संभावित है बल्कि अभियोजन के अविश्वसनीय साक्ष्यों से यह भी प्रतीत होता है कि रिपोर्ट रंजिशन दर्ज कराई गयी। पत्रावली में प्रकाश में आए हुए तथ्यों से पता चलता है कि चोटहिलों/वादी पक्ष के किसी भी सदस्यों को किसी भी मुल्जिमान द्वारा मारते पीटते नहीं देखा गया है बल्कि उन्हें चोटें रोड पर भगदड़ के दौरान गिर जाने या फिर धक्का लग जाने की वजह से आई हैं। कुल मिलाकर, वादी मुकदमा के स्वयं तथा अन्य साक्षीगण की गवाही में न केवल तार्किक विसंगतियाँ हैं, बल्कि उन गवाहियों में स्वाभाविकता का भी अभाव है। उनके कथन, समय, स्थान, कारण में परस्पर समानता नहीं है। उनकी गवाही से अभियोजन कथानक को बल नहीं मिलता है तथा अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया साबित नहीं होते हैं।

32– उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा विवेचना करने के उपरान्त आरोप–पत्र न्यायालय पर प्रेषित कर दिया गया था। पुलिस की विवेचना केवल दस्तावेजी औपाचारिकताओं तक सीमित रही और किसी भी भौतिक प्रमाण के अभाव में घटना की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। जबकि विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श क–3 में घटना में प्रयुक्त फरसा, बल्लम व दो अदद लाठी खूनालूद को प्रमाणित किया है, परन्तु जब साक्षियों के द्वारा घटना में किसी भी तरह की मारपीट या फिर किसी आयुध द्वारा जानलेवा हमला किए जाने से साफ इंकार कर दिया है तथा उनके द्वारा उनको चोट सड़क पर गिरने या धक्का लगने से गिरने के कारण आना स्वीकार

किया गया हो, तब ऐसे में उक्त बरामदगी का कोई महत्व नहीं रहा जाता है।

33– अतः न्यायालय का यह विवेकपूर्ण निर्णय है कि मामले के वादी मुकदमा पी०डब्लू० 5 सीताराम ने स्वयं ही तहरीर के विपरीत साक्ष्य दिया है। तहरीर में उसके द्वारा कथन किया गया है कि वह स्वयं ही अपनी जमीन को जोतने गया था परन्तु न्यायालय में दिनांक 02.04.2026 को दिए हुए बयान में उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि उसके भाई केशवराम जमीन को जोतने गए थे। अन्य साक्षीगण ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा उनके साक्ष्यों में गम्भीर विरोधाभास है। जिसके कारण उनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उनके कथनों में मौजूद विरोधाभास से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा वर्णित घटना घटित ही नहीं हुई है, या यदि हुई भी है तो उसका स्वरूप वैसा नहीं था, जैसा कि तहरीर में चित्रित किया गया है। अभियोजन ने कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी ठोस या भौतिक साक्ष्य से अपने कथानक को पुष्ट किया है। इन परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है।

34– न्यायिक दृष्टिकोण से यह स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक मामलों में अभियोजन को अपने कथानक को संदेह से परे सिद्ध करना अनिवार्य होता है। परन्तु प्रस्तुत मामले में मामले में परीक्षित कराए गए साक्षियों ने विरोधाभासी बयान दिए हैं तथा उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष यह दिखाने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने किसी प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से वादी पक्ष/चोटहिलों पर जानलेवा नीयत से हथियारों से प्रहार किया हो। इन सभी पहलुओं का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन के किसी भी साक्ष्य में विश्वसनीयता नहीं है। न्यायिक विवेक के अनुसार जब किसी आपराधिक मामले में अभियोजन का कथानक सुसंगत, स्वाभाविक और प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा समर्थित नहीं होता, तब अभियुक्तगणों को संदेह का लाभ दिया जाना न्याय का मूल सिद्धांत है। इस मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियुक्तगणों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित कर पाने में सफल नहीं हो पाया है।

35– उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विवेचनोपरांत न्यायालय का मत है कि इस मामले के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत बयान सहज स्वाभाविक एवं विश्वसनीय नहीं हैं। अभियोजन ने जो गवाह प्रस्तुत किए है, उन्होनें अभियोजन के कथानक को संदेह से परे साबित नहीं किया है और अपने बयानों को विकसित करते हुए संवर्धित और संशोधित बयान दिए है। तथ्य के साक्षीगण द्वारा जो घटना के बावत साक्ष्य दी गयी है, उसके आधार पर अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे अभियोजन पक्ष प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ प्रदान करते हुए उन्हें दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्तगण **कैलाश, विक्रम, सदावृक्ष, केशरी, रामजीत, कौशल, मुरली, दीपराज,**

रामकेवल उर्फ केवलराम**, शिवकुमार, सुभाष, लवकुश** व **दीपक** को धारा 147, 148, 323/149, 324/149, 325/149, 307/149, 504 व 506 भा०दं०सं० के आरोप से सन्देह का लाभ प्रदत्त करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

उपरोक्त अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में पूर्व से जमानत पर है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किए जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को, उनके दायित्वों से, उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा 437 क दं०प्र०सं० के अन्तर्गत जमानतनामें व बंधपत्र अग्रिम 10 दिवस में न्यायालय में दाखिल करेंगे।

दिनांक–20.07.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित किया जाकर उद्घोषित किया गया।

दिनांक–20.07.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश,
श्रावस्ती।